न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या एल आर ए/ 176/2018

उनवान

1. रामदयाल पुत्र हरजी गुर्जर निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा, के प्रकरण संख्या 22/2018 निर्णय दिनांक 2.5.2018 एवं तहसीलदार, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 142/2017 निर्णय दिनांक 10.1.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री भोपाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.4.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बिलिया ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के यहॉ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिलिया तहसील शाहपुरा की खसरा नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18 रकबा 1.49 हेक्टेयर किस्म बिलानाम संवत 2074 फसल खरीफ के दौरान श्री रामदयाल पिता हरजी गुर्जर द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण तहसीलदार, शाहपुरा ने अप्रार्थी को ग्राम बिलिया तहसील शाहपुरा की खसरा नम्बर 18 रकबा 1.49 हेक्टेयर किस्म बिलानाम संवत 2074 फसल खरीफ के पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय द्वारा लगान का पचास गुणा 100/—रूपये के अर्थदण्ड , वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2.5.2018 द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी की अपील को खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 18 रकबा 1.49 हे0 के किसी भी भू भाग पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है एवं न ही पिछले वर्षों में अतिक्रमण रहा है। पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के उपरान्त मौके की वास्तविक रिपोर्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं मंगवाई गई। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/विपक्षी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं होने के बावजूद भी उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । जिससे अपीलार्थी/विपक्षी अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/विपक्षी का वादग्रस्त आराजी पर कयासी आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना माकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/विपक्षी का वादग्रस्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/विपक्षी को नोटिस की तामील हुई थी। उसके बावजूद अपीलार्थी/विपक्षी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका कभी अतिक्रमण नहीं रहा है एवं अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा की पत्रावली में संलग्न नोटिस का अवलोकन किया गया । तहसीलदार, शाहपुरा द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी रामदयाल पिता हरजी गुर्जर निवासी बिलिया को दिनांक 22.12.2017 को नोटिस जारी किया गया । जिसमें आगामी पेशी दिनांक 10.1.2018 नितय की गई थी। उक्त नोटिस की पुश्त पर स्वयं रामदयाल के हस्ताक्षर अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई थी। गलत प्रतीत होता है। अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामील होने के उपरान्त भी अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का के बयान का अवलोकन किया गया । पटवारी हल्का के बयान दिनांक 10.1.2018 को लिये गये। जिसमें स्वयं पटवारी ने बयान पंजिबद्ध करवाये हैं " अतिक्रमी श्री रामदयाल पिता हरजी गुर्जर निवासी बिलिया द्वारा ग्राम बिलिया की आराजी नम्बर 18 रकबा 1.49 हे0 पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी द्वारा संवत 2074 फसल खरीफ के दौरान पडत कब्जा किया है। उक्त अप्रार्थी के विरूद्ध मेरे द्वारा नाजायज कब्जा की रिपोर्ट पेश की है यह सही है । **पूर्व में भी इसी आराजियात के भू भाग पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया । पुनः इसी आराजियात भू भाग पर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी बार–बार अतिक्रमण करने का अपराधी है।** " इस प्रकार पटवारी हल्का के बयान से यह तथ्य प्रमाणित है

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कि अपीलार्थी/विपक्षी वादग्रस्त आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का अपराधी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फर्द लामबन्दी एवं बेदखली पर्चा की फोटो प्रति संलग्न है। जिसके अनुसार अपीलार्थी/विपक्षी रामदयाल पिता हरजी गुर्जर निवासी बिलिया द्वारा बिलिया की वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किये जाने से उसके विरूद्ध प्रकरण संख्या 225/2015 के तहत बेदखल किया गया था। उसके उपरान्त पुनः वादग्रसत आराजी पर कब्जा किये जाने से उसके विरूद्ध पर्चा बेखली प्रकरण संख्या 238/2016 में बनाया गया । जिसमें भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा तिल की फसल काश्त की गई है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/विपक्षी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित है।

10. अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं रहा हो इस तथ्य की पुष्टि होती हो।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड, पटवारी हल्का के बयान के आधार पर अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण रहा है एवं वह अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.5.2018 एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.1.2018 को यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 25.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

25/4/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा